

प्रेस विज्ञापन

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 15.06.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 91 वाहनों से 102000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 91 वाहनों से 102000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बुजुर्ग की हत्या में वाँछित 05 अभियुक्तगणों को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0स0 246/2025 धारा 103(1) /191(2)/ 191(3)/115(2) /352/351(3)/125 बीएनएस से सम्बन्धित 05 अभियुक्तगण नाम पता 01.श्यामधर मौर्य पुत्र राम जंजाली, 02.सुदर्शन पुत्र रामदवन निषाद, 03.रोहित निषाद पुत्र नेबूलाल, 04.सोहित उर्फ छोटू निषाद पुत्र नेबूलाल, 05.दीपक निषाद पुत्र दयाराम निवासीगण अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को ग्राम प्रधान श्रीनगर के घर से गिरफ्तार कर मा0न्यायालय खाना किया गया ।

विदित हो कि दिनांक 14.06.2025 को ग्राम सिकतौर माफी में दो पक्षों के मध्य आम तोड़ने की बात को लेकर झगड़ा व लाठी डण्डा तथा ईंट पत्थर से मारपीट हुई, जिसमें सन्तबली यादव पुत्र सरजू यादव उम्र करीब 75 वर्ष की मृत्यु हो गयी तथा मृतक के पुत्र भगवानदास व नाती दुर्गेश को चोटें आयी थी । वादी दुर्गेश यादव पुत्र भगवान दास निवासी सिकतौर माफी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर की तहरीर के आधार पर थाना मेंहदावल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तों को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय खाना किया गया ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों का विवरण:-

01.श्यामधर मौर्य पुत्र राम जंजाली निवासी अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर ।

02.सुदर्शन पुत्र रामदवन निषाद निवासी अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर ।

03.रोहित निषाद पुत्र नेबूलाल निवासी अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर ।

04.सोहित उर्फ छोटू निषाद पुत्र नेबूलाल निवासी अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर ।

05.दीपक निषाद पुत्र दयाराम निवासी अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर ।

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

प्र0नि0 थाना मेंहदावल श्री सतीश कुमार सिंह, वरि0उ0नि0 श्री हरिनारायण दीक्षित, हे0का0 सुरेन सिंह , हे0का0 अजय कुमार सिंह ,कां0 संदीप गौतम ,कां0 अनुराग सिंह ,कां0 वीरेन्द्र कुमार ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 किलो 330 ग्राम अवैध गाँजा व 74 अदद गाँजा पीने वाले पेपर चिलम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री रामकृष्ण मिश्र*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त जय प्रकाश पुत्र स्व० रामबुझदास निवासी बसवारीगाँव थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 15.06.2025 को कुआनों नदी पुलिया के पास से कुल 01 किलो 330 ग्राम अवैध गाँजा व 74 अदद गाँजा पीने वाले पेपर चिलम के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जय प्रकाश पुत्र स्व० रामबुझदास निवासी बसवारीगाँव थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग - मु०अ०स० 295/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी - कुल 01 किलो 330 ग्राम अवैध गाँजा व 74 अदद गाँजा पीने वाले पेपर चिलम।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल - उ०नि० श्री राजीव सिंह, का० विरेन्द्र चौहान, का० गौतम कुमार, का० महेश चौहान, म०का० दामिनी सिंह, म०पीआरडी अंजनी।